2025/242

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2025 विविध GCMS No. 2025/242

1. श्री रामा पिता दीता उर्फ दौला भील (मीणा) बालिग निवासी गांव डाकन कोटड़ा तहसील गिर्वा हाल मुकाम केवड़ा फला, एकलिंगपुरा तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर
2. श्री केसुलाल उर्फ कउवा पिता हुरजी भील (मीणा) बालिग
3. श्री पुनाराम पिता हुरजी भील (मीणा) बालिग
4. श्रीमती राजु बाई बेवा हुरजी भील (मीणा) बालिग
5. श्रीमती हमेरी बाई पुत्री हुरजी भील (मीणा) बालिग
6. श्रीमती वेसु बाई पुत्री हूरजी भील (मीणा) बालिग
7. श्रीमती सुगना बाई पुत्री हुरजी भील (मीणा) बालिग

निवासी काया फला गोज्या का तलाब तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चतरा पिता नंगा भील (मीणा) बालिग निवासी गांव डाकन कोटड़ा फला मेवरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. श्री लिम्बा पिता नंगा भील (मीणा) बालिग निवासी गांव डाकन कोटड़ा आरिया फला (होमा मीणा का मकान) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राजस्थान)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रावल

निर्णय

दिनांक : 25.03.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में वादीगण रामा पिता दीता उर्फ दोला भील, केसुलाल उर्फ कउवा पिता हुरजी भील, पुनाराम पिता हुरजी भील, श्रीमती राजूबाई बेवा हुरजी भील, श्रीमती हमेरी बाई पिता हुरजी भील, श्रीमती वेसु बाई पिता हुरजी भील, श्रीमती सुगना बाई पिता हुरजी भील द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद सन् 2008 में श्रीमान् आप न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसमें राजस्व अपील,

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी, उदयपुर (राज0) द्वारा दिनांक 19.03.2014 को वादीगण के पक्ष में निर्णय देते हुए आप श्रीमान् न्यायालय को निर्देश दिया था कि पुनः पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रकरण के वाद को पुनः आप श्रीमान् न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त अनवान प्रकरण के वादीगण अनपढ व अत्यन्त कम पढ़े–लिखे होकर कानूनी कार्यवाही से बिल्कुल अनभिज्ञ थे तथा वाद की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अपने अधिवक्ता महोदय पर ही आश्रित थे। वादीगणों के तत्समय अधिवक्ता महोदय द्वारा वादीगणों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके वाद की न्यायिक प्रक्रिया अच्छे से चल रही हैं तथा वादीगणों का पक्ष भी अधिवक्ता महोदय द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा जा चुका है, तथा जब वादीगणों के साक्ष्य की आवश्यकता होगी तब वादीगणों को अधिवक्ता महोदय द्वारा सूचित कर के बुला लिया जाएगा। वाद की कार्यवाही के चलने के दौरान ही अचानक वादीगणों के तत्समय के अधिवक्ता महोदय का देहान्त हो गया था और जिसकी जानकारी वादीगणों को लम्बे समय तक नहीं हो पाई थी। वादीगण इसी विश्वास पर आस लगाए बैठे थे कि उनके वाद में जब सभी कार्यवाही अधिवक्ता महोदय द्वारा कि जा रही है तो उन्हें किसी बात की चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लम्बे समय बाद भी जब अधिवक्ता महोदय के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई तब वादीगणों द्वारा अधिवक्ता महोदय के ऑफिस जाकर पता लगाने की कोशिश की परन्तु अधिवक्ता महोदय के देहान्त के बाद उनका ऑफिस भी बन्द हो चुका था जिसके कारण वादीगणों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर सन् 2020 में कोरोना काल आ जाने से वादीगण किसी भी तरह की जानकारी व जांच पड़ताल नहीं कर पाए। कोरोना काल के पश्चात् जब फिर से वादीगणों द्वारा आप श्रीमान् न्यायालय में आकर उपरोक्त वाद के बारे में पता करना चाहा तो वादीगणों को वाद संख्या व दस्तावेजों की कोई जानकारी नहीं होने के कारण वादीगणों को वाद की कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई। वादीगणों द्वारा पुनः अपने अधिवक्ता महोदय के बारे में भी पता किया गया तथा तब उन्हें पता चला कि अधिवक्ता महोदय का देहान्त हो चुका है। वादीगणों द्वारा इसके बाद पुनः नए अधिवक्ता महोदय से मिल कर अपने वाद के बारे में जानकारी देने हेतु प्रार्थना की परन्तु वादीगणों के पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं होने से वाद की स्थिति का पता करने में अधिक समय लगा व नवनियुक्त अधिवक्ता द्वारा आप श्रीमान् के समक्ष दिनांक 06.05.2025 को फाईल तलबी का प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके बाद दिनांक 15.05.2025 को वादीगणों के वाद

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

की प्रतिलिपि रिकार्ड शाखा से प्राप्त होने के बाद इस बात की जानकारी हुई कि दिनांक 15.09.2015 को वादीगणों का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हो चुका है। वादीगणों की एकमात्र पैतृक भुमि के विवाद होने पर वादीगण श्रीमान् न्यायालय की शरण में न्याय की आशा लेकर आए थे परन्तु वादीगण अनपढ़ व बिल्कुल कम पढ़े लिखे होकर न्यायिक कार्यवाहियों सें बिल्कुल अनजान थे व पूरी तरह से अपने अधिवक्ता पर निर्भर थे परन्तु तत्समय के अधिवक्ता महोदय के अचानक देहान्त हो जाने के बाद वादीगणों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अधिवक्ता महोदय का देवलोकगमन हो गया है। वादीगण अनुसुचित जनजाति समुदाय के गरीब आदिवासी व्यक्ति है, और पिछले दो दशक से अपनी भूमि के लिए लड़ रहे है और संघर्ष कर रहे हैं, और आज वादीगणों को पता चलता है कि उनका दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज किया जा चुका है। दिनांक 15.09.2015 को वादीगणों के अधिवक्ता व वादीगणों का न्यायालय के समक्ष हाजिर ना होने का कारण तत्समय के अधिवक्ता महोदय के देवलोकगमन/देहान्त हो जाना था व वादीगणों को वाद की पेशी दिनांक व उपस्थिति देने सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने कारण वादीगणों का श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का सद्भावी कारण था। दिनांक 15.09.2015 को वादीगण की अनुपस्थिति के कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध अदम हाजिरी अदम पेरवी में अस्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया गया। वाद की खारिजी के आदेश को अपास्त नहीं किया गया तो वादीगण जो पिछले 20 दशकों से न्याय की उम्मीद लिए बैठे है उनकी एकमात्र पैतृक भूमि जो कि उनके पुरखों की निशानी और उनकी आमदनी का सहारा है को उनसे गैरकानूनी तरिके से छिन लिया जाएगा और वादीगण जो कि अनपढ़ और अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्ति हैं न्याय से वंचित रह जाएंगे। जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी तब वादीगणों का विचारण में विलम्ब कारित करने या अनुपस्थित होने का कोई आशय नहीं था। वादीगण स्वयं ही पुर्व अधिवक्ता महोदय के देवलोकगमन हो जाने से अनजान थे। विलम्ब की प्रतिपूर्ति खर्चे द्वारा हो सकती है।

अतः वादी के विरूद्ध दिनांक 15.09.2015 को पारित वाद खारिजी के आदेश को अपास्त फरमाया जावे जिससे न्यायहित में वादीगणों के वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ पाये।

प्रकरण विविध दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षीगण को जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके जवाब अवसर बंद किए गए। प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता के देहान्त की जानकारी वादीगण को नहीं होने से वादी उपस्थित नहीं हो सके जिससे वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था। जिसे अपास्त किया जाकर पुनः नम्बर पर लिवाया जाने का कथन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पंत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्द्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। मूल प्रकरण संख्या 219/2008 बउनवान रामा बनाम चतरा भील वादीगण द्वारा उक्त वाद वास्ते धारा 88, 92क, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के लिए प्रस्तुत किया था। उक्त वाद इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2009 से वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में होने से माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.03.2014 से अपास्त करते हुए पुनः प्रेषित किया गया। पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 116/14 बउनवान रामा बनाम चतरा भील दिनांक 26.6.2014 से दर्ज किया गया तथा बकुलाय पक्षकारान को सूचना हेतु सूचना पत्र दिनांक 17.11.2014 को जारी किए गए। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10.02.2015, 10.03.2015, 08.06.2015, 21.07.2015, 18.08.2015 को तलबी हेतु नियत थी तथा वादी की उपस्थिति दर्शायी हुई थी। दिनांक 15.09.15 को वादी एवं अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। हमारे द्वारा मूल वाद तथा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा यह वाद अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है। तथा वादीगण के केवल मात्र दिनांक 15.09.2015 को उपस्थित नहीं होने पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। उक्त मूल प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का होने से वाद का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होने से वादीगण अथवा प्रतिवादीगण के हक अधिकारों का निर्धारण होगा। मेरे विनम्र अभिमत में दिनांक 15.09.2015 के आदेश को अपास्त कर पुनः नम्बर पर लिया जाना प्राकृतिक न्याय होगा, क्योंकि उक्त वाद केवल मात्र एक तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने पर निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र आदेश पारित होने के तकरीबन 10 वर्ष बाद प्रस्तुत किए जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपस्थिति के कारण अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने तथा वादीगण के अनपढ़ और अनुसूचित

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

जनजाति के गरीब व्यक्ति होने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित होने से न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का आदेश दिनांक 15.09.2015 को अपास्त किया जाकर मूल वाद प्रकरण संख्या 116/14 बउनवान रामा बनाम चतरा भील पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(ए साईं कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर